भारत सरकार
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारां कत प्रश्न सं0 **3529**
दिनांक **15** जुलाई**,** 2019

हाइड्रोकार्बन परियोजनाएं

3529. श्रीमती वांगा गीता वश्वनाथः
श्री एम॰ सेल्वराजः
श्रीमती कनिमोझीः
श्री ए॰ के॰ पी॰ चनराजः
श्री सु॰ थरुनवुक्क रासरः

क्या पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या सरकार का काकीनाडा और पूर्वी गोदावरी जिलों सहित आंध्रप्रदेश में हाइड्रोकार्बन परियोजनाओं को स्था पत करने का वचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस कंपनी का नाम क्या है, जिसे उक्त परियोजना सौंपी गई है और कुओं की खुदाई को कस प्रकार निष्पादित कया जाएगा तथा इस कार्य में अब तक कतनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय हरित अ धकरण से इस प्रयोजनार्थ पर्यावरणीय स्वीकृति ली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है क त मलनाडु में हाइड्रोकार्बन कुओं की खुदाई और मीथेन परियोजनाओं के कारण अ धकांश उपजाऊ कृ ष भू म बंजर हो गई है और पेयजल मानव उपभोग के लए अनुपयुक्त हो गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने कावेरी डेल्टा क्षेत्र में 'जन सुनवाई' के बिना हाइड्रोकार्बन अन्वेषण परियोजनओं को अनुमति प्रदान की है, जो ईआईए अ धसूचना, 2006 के तहत कानूनी रूप से अनिवार्य है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा जन सुनवाई के बिना अब तक स्वीकृत की गई परियोजनाओं की सूची क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने त मलनाडु में मैंग्रोव क्षेत्र और मत्स्यन क्षेत्रों जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन परियोजनाओं की अनुमति दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इन क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन परियोजनाओं की अनुमति देने से पहले पर्यावरण प्रभाव का आकलन कया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) और (ख) उत्पादन हिस्सेदारी सं वदा (पीएससी) व्यवस्था के तहत,आंध्र प्रदेश राज्य में एक एनईएलपी पूर्व (नई अन्वेषण लाइसें संग नीति) और तीन एनईएलपी ब्लॉक प्रदान कए गए हैं जिनमें से केवल दो एनईएलपी ब्लॉकों का प्रचालन कया जा रहा है। ये ब्लॉक ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) और ऑयल इं डया ल. (ओआईएल) को आबंटित कए गए हैं। कोई अन्वेषण और वकास संबंधी कार्यकलाप करने से पहले पर्यावरण संबंधी मंजूरी (ईसी) और वन संबंधी मंजूरी अनिवार्य है। पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्राप्त करने के लए पर्यावरण के प्रभाव संबंधी आकलन (ईआईए) करना पहली शर्त है। ईआईए रिपोर्ट में प्रस्ता वत कार्यकलाप के पर्यावरण संबंधी पहलुओं और उनके पड़ने वाले प्रभाव की पहचान की जाती है और ऐसे प्रभाव को कम करने के उपाय प्रस्ता वत कए जाते हैं। पर्यावरण संबंधी मंजूरी हेतु जन सुनवाई के दौरान स्थानीय जनता सहित पणधारकों के साथ परामर्श कया जाता है। राष्ट्रीय हरित अ धकरण (एनजीटी) के निर्देशों, यदि कोई हों, का अनुपालन कया जाता है। तथा प, एनजीटी के साथ कोई परामर्श नहीं कया जाता है।

(ग) जी, नहीं। केवल त मलनाडु में ही नहीं अ पतु देश के अन्य हिस्सों में भी अन्वेषण और उत्पादन संबंधी कार्यकलाप कृ ष के साथ-साथ कए जाते हैं। हाइड्रोकार्बनों के लए अन्वेषण और उत्पादन संबंधी कार्यकलाप स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण से संबं धत दिशा-निर्देशों के अनुरूप कए जाने चाहिए। यह मंजूरियां व भन्न प्रा धकरणों से प्राप्त की जाती हैं। कावेरी डेल्टा क्षेत्र में अन्वेषण उत्पादन कार्यकलाप पारंपरिक तेल और गैस संसाधनों तक ही सी मत हैं। त मलनाडु राज्य में कोई कोल बेड मथेन (सीबीएम)/शेल गैस संबंधी कार्यकलाप नहीं कए जा रहे हैं। इसके अलावा, ओएनजीसी 50 वर्ष से अ धक समय से त मलनाडु में अन्वेषण और उत्पादन संबंधी कार्यकलाप कर रही है और कृ ष तथा पारिस्थितिकी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

(घ) और (ड.) त मलनाडु राज्य में नई अन्वेषण लाइसें संग नीति (एनईएलपी) के व भन्न दौरों में 7 ब्लॉक प्रदान कए गए हैं जिनमें से केवल दो ब्लॉकों का प्रचालन कया जा रहा है। खोजे गए लघु क्षेत्र बोली दौरों के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के जरिए दो सं वदाएं प्रदान की गई हैं जिनके लए राज्य सरकार से पेट्रो लयम खनन प` (पीएमएल) की प्रतीक्षा है। इसके अलावा, तीन ब्लॉक खुला रकबा लाइसें संग नीति के तहत प्रदान कए गए हैं। सं वदाकार द्वारा कोई अन्वेषण और उत्पादन कार्यकलाप करने से पहले पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्राप्त करने के लए पर्यावरण के प्रभाव संबंधी आकलन (ईआईए) करना पहली शर्त है।

****